न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/58

गजानन्द सुमन आत्मज श्री रूपा उर्फ रूप लाल उम्र 58 वर्ष जाति माली निवासी सकतपुरा हताई की चौक के पास सकतपुरा कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. घींसी बाई पुत्री रूपा पतनी मदनलाल जाति माली निवासी नयागॉव काछियों की बावडी पुलिस लाईन तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. गौरी शंकर पुत्र मेवाराम माता गुलाब बाई ।
3. नीरज कुमार पुत्र मेवाराम माता गुलाब बाई ।
4. कविता पुत्री मेवाराम माता गुलाब बाई जाति माली निवासीगण 02 लगायत 4 बुटा की बाडी बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. गणेश लाल पुत्र जगन्या जाति माली निवासी सुमन चिल्ड्रन स्कूल के पास सकतपुरा जिला कोटा ।
6. संतोष बाई पुत्री किशन लाल ।
7. सूरज कुमार पुत्र किशन लाल ।
8. देवेन्द्र कुमार पुत्र किशन लाल ।
9. दुर्गेश बाई पुत्री किशन लाल ।
10. निकिता पुत्री किशन लाल ।
11. पार्वती बाई पुत्री किशन लाल ।
12. मिनाक्षी पुत्री किशन लाल ।
13. ललिता बाई बेवा किशनलाल जाति माली निवासीगण 7 लगायत 14 सुमन चिल्ड्रन स्कूल के पास सकतपुरा कोटा ।
14. विमला देवी पत्नी सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बडी नगर के पास कुन्हाडी कोटा ।
15. सचिव, नगर विकास न्यास कोटा ।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री ओम प्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री दीनानाथ गालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्टगण कम 1 लगायत 13 की ओर से
3. श्री शम्भू दयाल विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 15 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 08.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.03.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89, 91, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सकतपुरा तहसील लाडपुरा में कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 100 की रकबा 0.03 हैक्टर व खसरा नम्बर 102 की रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 105 की रकबा 0.70 हैक्टर व खसरा नम्बर 108 की रकबा 0.45 हैक्टर कुल 04 किता की रकबा 1.22 हैक्टर भूमि स्थित है । इसी प्रकार ग्राम कुन्हाडी तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 405 की रकबा 0.45 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी के पिता स्वर्गीय रूपा व रूपा जी के बडे भाई अर्थात् प्रार्थी के ताउजी जगन्या के द्वारा शामलाती बराबर–बराबर हिस्सा क्रय किया था जिसमें दोनों का 1/2 – 1/2 हिस्सा निहित है । प्रार्थी के पिता स्वर्गीय रूपा जी के द्वारा उक्त आरजाी में 1/2 हिस्से अपने भाई जगन्या के साथ क्रय किया था उक्त भूमि उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति है । स्व0 रूपा जी ने अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 13.02.2008 को वादी के नाम आलेखित की । उक्त भूमि में से 07 बीघा 09 बिस्वा भूमि बायी नगर के पास सकतपुरा कोटा एवं 0.45 हैक्टर भूमि भूरा डोल हनुमान के मंदिर के पास ग्राम कुन्हाडी में स्थित है जिसकी वसीयत रूपा जी द्वारा प्रार्थी के नाम की गई थी जिस प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अप्रार्थी क्रम 16 तहसीलदार द्वारा प्रार्थी को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये ग्राम कुन्हाडी की खसरा नम्बर 405 की रकबा 0.45 हैक्टर पर नामान्तरकरण क्रम संख्या 612 दिनांक 20.03.2014 से स्व0 रूपा के स्थान पर प्रार्थी के साथ घीसी बाई व गुलाब बाई का नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया । इसी प्रकार ग्राम सकतपुरा की आराजी पर नामान्तरकरण संख्या 325 दिनांक 28.03.2014 से प्रार्थी के साथ घीसी बाई व गुलाब बाई का नाम अप्रार्थी क्रम 16 द्वारा दर्ज कर दिया गया । जबकि स्व0 रूपा जी द्वारा प्रार्थी के नाम रजिस्टर्ड वसीयत आलेखित करवा रखी है जिसके तहत स्वर्गीय रूपा के स्थान पर प्रार्थी का नाम दर्ज किया जाना चाहिए था । प्रार्थी का दोनों ग्रामों की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है अप्रार्थी क्रम 2, 3 व 4 का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 4 का वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज है जिससे वह उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्य प्रकार से खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है । यदि दौराने वाद उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द एवं रहन, बेचान कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी ग्राम सकतपुरा की कुल 04 किता की रकबा 1.22 हैक्टर एवं ग्राम कुन्हाडी की आराजी खसरा नम्बर 405 की रकबा 0.45 हैक्टर को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण

करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें । अप्रार्थी कम 15 को भी ताफैसला वाद पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 को कोई मुआवजा आदि चम्बल रिवर फन्ट का नहीं दे और न ही देने की कार्यवाही करें ।

4. अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने एवं अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07.03.2022 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी स्वर्गीय रूपा जी की स्वअर्जित सम्पत्ति है । रूपा जी द्वारा प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 13.02.2008 को रजिस्टर्ड वसीयत आलेखित की थी । उक्त वसीयत के आधार पर प्रार्थी अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है । यदि दौराने वाद अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द कर दिया तो अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.03.2022 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. प्रार्थी अपीलान्ट ने दिनांक 01.06.2022 को न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जावे ।

9. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज में फोटो प्रति मुख्तारनामा है । रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने में अनापत्ति व्यक्त की । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

10. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी स्वर्गीय रूपा जी की स्वअर्जित सम्पत्ति है । रूपा जी द्वारा प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 13.02.2008 को रजिस्टर्ड वसीयत आलेखित की थी । उक्त वसीयत के आधार पर प्रार्थी अपीलान्ट उक्त

भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है । प्रार्थी अपीलान्ट के हक हिस्से की भूमि पर अपीलान्ट मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है । रेस्पोडेन्ट कम 1, 2, 3 व 4 किसी प्रकार से मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । परीक्षण न्यायालय में प्रार्थी के द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया है और अप्रार्थीगण ने उसका जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें भी अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द नहीं करने हेतु प्रार्थना की थी परन्तु परीक्षण न्यायालय ने किसी भी तथ्य पर गौर किये बिना प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.03.2022 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2018–19 (सप्ली0) पेज 618, आरआरटी 2021 (2) पेज 792, आरआरटी 2016 (2) पेज 1398, आरआरटी 2016 (2) पेज 1085, आरआरटी 2016 (2) पेज 1405, आरआरटी 2019 पेज 479, आरआरटी 2019 (1) पेज 271, आरआरटी 2020 (2) पेज 1081, आरआरटी 2021 (1) पेज 295, आरआरटी 2018–19 (सप्ली0) पेज 402, डीएनजे 2019 (1) (राज0) पेज 377, आरआरटी 2021 (2) पेज 1272 उद्वरत की ।

11. रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 13 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में हक घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था । ग्राम कुन्हाडी की आराजी खसरा नम्बर 405 की रकबा 0.45 हैक्टर भूमि भूरा डोल हनुमान जी के मंदिर के पास स्थित है । खसरा नम्बर 405 की भूमि चम्बल रिवर फ्रन्ट परियोजना में आने से नगर विकास न्यास कोटा के द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है तथा अधिग्रहित करने की मुआवजा राशि दिये जाने का प्रथमदृष्टया दर्शित है । प्रार्थी के पिता स्व0 रूपा व जगन्या जी का वादग्रस्त आराजी में 1/2–1/2 हिस्सा निहित है । रूपा जी की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर लगातार कब्जा चला आ रहा है । खसरा नम्बर 405 रकबा 0.45 हैक्टर भूमि पर नामान्तरकरण संख्या 612 दिनांक 20.03.2014 से स्व0 रूपा के स्थान पर रेस्पोडेन्टगण का नाम दर्ज कर दिया गया । इसी प्रकार ग्राम सकतपुरा की आराजी में नामान्तरकरण संख्या 325 दिनांक 28.03.2014 से रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज हुआ । प्रार्थी अपीलान्ट ने एक अन्य वाद सिविल न्यायालय में पेश किया जिसे सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2022 को यह अंकित करते हुए खारिज कर दिया कि न्यायालय में प्रार्थी वसीयत के आधार पर आया है परन्तु मुआवजा खातेदारी अधिकारों के अनुसार दिया जाना प्रथमदृष्टया दर्शित होता है तथा खातेदारी अधिकारों के सम्बन्ध में इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है । उक्त भूमि खातेदारी सम्बन्धी विवाद है जो कि राजस्व न्यायालय के द्वारा ही तय किया जा सकता है' । वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट कम 01 का 1/3 हिस्सा, तथा अप्रार्थी कम 2 लगायत 4 का 1/3 हिस्सा निहित है । रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 4 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 की प्रथम अनुसूची में आते हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.03.2022 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2014 (1) (रात0) पेज 42, 2021 (3) सीजे (सिविल) (राज0) पेज 1547, आरएलडब्ल्यू 2014 (1) (राज0) पेज 660 एवं फोटो प्रति न्यायालय सिविल न्यायाधीश उत्तर कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2022 उद्वरत की ।

12. रेस्पोडेन्ट कम 15 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रिवर फ्रन्ट में अवाप्त की गई है जिसके मुआवजे की राशि के चैक बने हुए हैं ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2002 लगायत 2005 संलग्न है जो स्पष्ट रूप से पठनीय नहीं है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2016 से 2024 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम सकतपुरा की आराजी खसरा नम्बर 97 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 98 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 115 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 117 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 04 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा भूमि जगन्या व रूपा के खातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2016–2024 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम कुन्हाडी की आराजी खसरा नम्बर 324 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा भूमि रूपा व जगन्या के खातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति वसीयत दिनांक 13.02.2008 जो कि दिनांक 02.03.2021 को पंजीबद्ध हुई है संलग्न है जिसके अनुसार रूपा लाल ने अपने स्वामित्व की आराजी की वसीयत अपने पुत्र गजानन्द के पक्ष में निष्पादित की है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2073–76 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम सकतपुरा की कुल किता 04 रकबा 1.22 हैक्टर भूमि गजानन्द पुत्र रूपा, गणेशलाल पुत्र जगन्या, गुलाब बाई पुत्री रूपा, घीसी बाई पुत्री रूपा एंव विमला देवी पत्नी सुरेन्द्र सिंह के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । इसी प्रकार फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 संलग्न है जिसके अनुसर ग्राम कुन्हाडी की आराजी खसरा नम्बर 405 रकबा 0.45 हैक्टर भूमि गजानन्द, घींसी बाई व अन्य के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है ।

14. पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से साबित है कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी रूपा एवं जगन्या के खाते की भूमि है जिसमें रूपा के वारिसान के मध्य विवाद है । प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया और वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं अन्यथा खुर्द–बुर्द नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 4 को ग्राम कुन्हाडी एवं ग्राम सकतपुरा की वादग्रस्त आराजी को ताफैसला वाद रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का कथन किया । इसी कम में अप्रार्थीगण के द्वारा परीक्षण न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी को दोनों ग्रामों सकतपुरा एवं कुन्हाडी की वादग्रस्त आराजी को ताफैसला वाद रहन, बेचान, खुर्द–बुर्द एवं अन्तरण नहीं करने एवं अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 के कब्जे में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 4 को ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का अनुतोष चाहा है । इसी प्रकार अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 4 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र में प्रार्थी गजानन्द को ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का अनुतोष चाहा है ।

15. परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 07.03.2022 को अंतरिम स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । धारा 212 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पूर्ण रूप से निर्णित नहीं किया है । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 07.03.2022 के अनुसार पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र शेष अप्रार्थी (कम 05 लगायत 14) दिनांक 16.03.2022 को नियत की गई थी । ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी अपीलान्ट एवं अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 को दोनों ग्रामों की वादग्रस्त आराजी को परीक्षण न्यायालय द्वारा धारा 212 के प्रार्थना पत्र के अंतिम निस्तारण तक रहन, बेचान नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् पारित निर्णय दिनांक 07.03.2022 को निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पत्रावली प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । समस्त पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 18.07.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों । ग्राम सकतपुरा की आराजी खसरा नम्बर नम्बर 100 की रकबा 0.03 हैक्टर व खसरा नम्बर 102 की रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 105 की रकबा 0.70 हैक्टर व खसरा नम्बर 108 की रकबा 0.45 हैक्टर कुल 04 किता की रकबा 1.22 हैक्टर भूमि एवं ग्राम कुन्हाडी तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 405 की रकबा 0.45 हैक्टर भूमि में रूपा के 1/2 हिस्से की भूमि को प्रार्थी अपीलान्ट एवं अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 4 परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के अंतिम निस्तारण तक रहन, बेचान नहीं करें । अन्य पक्षकारान इस आदेश से पाबन्द नहीं रहेंगे ।

17. निर्णय आज दिनांक 08.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा